

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पोटासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0


प्रकरण संख्या -139/2019 (Bank Case)

“सेवा गृह ऋण लिमिटेड” जिसका पंजीकृत कार्यालय-206,207 द्वितीय तल, विक्रम टावर, राजेन्द्र पैलेस, न्यू दिल्ली-110008, ब्रांच कार्यालय- प्लॉट नं0 621, मुकेश प्लाजा, एस.एस. डेयरी के पास, दादाबाडी कोटा राजस्थान - 324001 में स्थित हैं।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती सुनीता बैरवा पत्नी श्री ओमप्रकाश बैरवा (ऋणी/बंधककर्ता)
निवासी- वार्ड नं0 9, ब्राहमण मोहल्ला, किराने की दुकान के पास, हनोतिया, कोटा राजस्थान-325203
2. श्री ओमप्रकाश बैरवा पुत्र श्री पुष्पचन्द बैरवा (सहऋणी)
निवासी- वार्ड नं0 9, ब्राहमण मोहल्ला, किराने की दुकान के पास, हनोतिया, कोटा राजस्थान-325203



श्री पुष्पचन्द बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा (सहऋणी)
निवासी- वार्ड नं0 9, ब्राहमण मोहल्ला, किराने की दुकान के पास, हनोतिया, कोटा राजस्थान-325203

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि “सेवा गृह ऋण लिमिटेड” जिसका पंजीकृत कार्यालय-206,207 द्वितीय तल, विक्रम टावर, राजेन्द्र पैलेस, न्यू दिल्ली-110008, ब्रांच कार्यालय- प्लॉट नं0 621, मुकेश प्लाजा, एस.एस. डेयरी के पास, दादाबाडी कोटा राजस्थान - 324001 में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.11.2017 को रूपये 3,00,000/- (अक्षरे: रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री पुष्पचन्द बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा की सम्पत्ति खसरा नं0 446, वार्ड नं0 9, ब्राहमण मोहल्ला, किराने की दुकान के पास, मिसल संख्या 110, हनोतिया, कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1450 वर्ग फुट हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा


जिला कलेक्टर


अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.05.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों में 3,19,142.08/- (अक्षरे रूपये तीन लाख उन्नीस हजार एक सौ बीयालीय रूपये आठ पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 31.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री पुष्पचन्द बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा की सम्पत्ति खसरा नं0 446, वार्ड नं0 9, ब्राह्मण मोहल्ला, किराने की दुकान के पास, मिसल संख्या 110, हनोतिया, कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1450 वर्ग फुट है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हसब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।




(अम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा